

7/5/26 वकील प्रार्थी द्वारा प्रापत्र पेश करने पर
न्यायाधीश के प्रापत्र आज पेश के लिए लिया गया।

वकील बादी / उभयपक्ष उप०। वकील वादी ने प्रापत्र पेश कर वाद को विद्वा / ~~सेट प्रेस~~ में खारिज किए जाने का निवेदन किया। अतः पत्रावली को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसला शुमार नं. से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

→